



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारिबैं/2012-13/36

गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.277/03.02.001/2012-13

2 जुलाई 2012

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर)

महोदय,

30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय
कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998

जैसा कि आपको विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफएसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2012 तक अद्यतन हैं, पुनः नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक की वेब साइट (<http://www.rbi.org.in>) पर भी उपलब्ध है।

भवदीया,

(सी.आर.संयुक्ता)
मुख्य महाप्रबंधक

विषय सूची

पैरा नं:	विवरण
	भाग I - प्रारंभिक
1	संक्षिप्त शीर्षक और निदेशों का प्रारंभ
2	परिभाषा
	भाग II - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करना
3	पारस्परिक लाभ वाली वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध
4	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध
5	क्रेडिट रेटिंग का श्रेणीकरण
6	पहले ही स्वीकृत तथा अनुमत सीमा से अधिक जनता की जमाराशियों का नियमन
7	ब्याज दर की उच्चतम सीमा
8	दलाली का भुगतान
9	जनता की जमाराशि का नवीकरण
10	जनता की अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान
11	संयुक्त जमाराशि
12	जनता की जमाराशियां मांग करनेवाले आवेदन फॉर्म में निर्दिष्ट किए जानेवाले विवरण
13	विज्ञापन तथा विज्ञापन के बदले में वक्तव्य
14	न्यूनतम अवरुद्धता अवधि और जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में चुकौती
15	जमाकर्ता को रसीद देना
16	जमाराशि की पंजी
	भाग - III - विशेष प्रावधान
	निदेशक मंडल की रिपोर्ट में समाविष्ट की जानेवाली जानकारी
	अनुमोदित प्रतिभूतियों की सुरक्षा अभिरक्षा
	कर्मचारी जमानत जमा
	रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किये जानेवाले तुलनपत्र और खातों के साथ निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, खातों पर टिप्पणियां तथा विवरणियों की प्रतियां
	लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान
	भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियां
	गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत किए जानेवाले तुलन-पत्र, विवरणियां आदि
	कुछ विशेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर यह निदेश लागू नहीं होगी।
	छूट
	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के उल्लंघन के लिए की गई अथवा की जानेवाली कार्रवाई की रक्षा
	पैराग्राफ 2(1) में उल्लिखित कंपनियों से इतर कंपनियों पर इन निदेशों की प्रयोज्यता
	परिशिष्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
सेंटर 1, विश्व व्यापार केंद्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई-400 005

अधिसूचनासं.डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी).98

दिनांक 31 जनवरी 1998

भारतीय रिज़र्व बैंक, ऐसा करना जनहित में आवश्यक समझकर तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने के लिए नीचे निर्दिष्ट निदेश देना आवश्यक है, एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45अ, 45ट, 45ठ तथा 45डक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम बनानेवाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 2 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.114/डीजी (एसपीटी)-98 में निहित पूर्ववर्ती निदेशों के अधिक्रमण में प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश देता है।

भाग I - प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक और निदेशों का प्रारंभ

1. इन निदेशों को "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998" के रूप में जाना जाएगा। वे 31 जनवरी 1998 से लागू होंगे और उनके लागू होने की तारीख से इन निदेशों के किसी संदर्भ को उस तारीख के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

परिभाषा

2. (1) इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक स्थिति से अन्यथा अपेक्षित न हो, "(ia) "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" का तात्पर्य उस कंपनी से है जो वित्तीय संस्था है; जिसका प्रधान कारोबार उत्पादक/आर्थिक गतिविधियों में सहायक भौतिक परिसंपत्तियों, जैसे आटोमोबाइल, ट्रैक्टरों, लेथ मशीनों, जनरेटर सेटों, अर्थमूविंग और मटीरियल हैंडिलिंग उपकरणों, स्वचालित एवं सामान्य प्रयोजन की औद्योगिक मशीनें, का वित्तपोषण करना है 1.

(i) 'जमाकर्ता' से तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी कंपनी में जमाराशि रखी है; अथवा ऐसे जमाकर्ता का कोई उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक अथवा समनुदेशिती;

(ii) हटाया गया 2।

(iii) 'निर्बंध आरक्षित निधियों' से तात्पर्य है शेयर प्रीमियम खाते की शेष राशि का कुल, पूंजी तथा डिबेंचर शोधन आरक्षित निधियां एवं किसी कंपनी के तुलन-पत्र में दर्शाई या प्रकाशित कोई अन्य आरक्षित निधि जो भविष्य की किसी देयता की चुकौती के लिए या परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए या अशोध्य ऋणों के लिए निर्मित रिज़र्व अथवा संबंधित कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन द्वारा निर्मित रिज़र्व न होकर, लाभ के विनियोजन के माध्यम से निर्मित है;

6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं: 189 द्वारा जोड़ा गया
2 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं: 189 द्वारा हटाया गया

- (iv) हटाया गया 3 ।
- (v) 'बीमा कंपनी' का अर्थ है बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 के तहत पंजीकृत कोई कंपनी;
- (vi) 'निवेश कंपनी' से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जिसका प्रमुख कारोबार प्रतिभूतियों का अर्जन है;
- (vii) 'ऋणदायी सरकारी वित्तीय संस्था' से तात्पर्य है -
- (क) कोई सरकारी वित्तीय संस्था जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में विनिर्दिष्ट अथवा उसके अधीन है; या
- (ख) कोई राज्य वित्तीय औद्योगिक अथवा निवेश निगम; या
- (ग) कोई अनुसूचित वाणिज्य बैंक; या
- (घ) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम; या
- (ङ) ऐसी कोई अन्य संस्था जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
- (viii) "ऋण कंपनी" से तात्पर्य है ऐसी कंपनी से जो वित्तीय संस्था है जो अपने खुद के कार्यकलापों के अलावा अन्य किसी कार्यकलाप के लिए ऋण अथवा अग्रिम अथवा अन्य किसी प्रकार से वित्त प्रदान करती है; परंतु इसमें परिसंपत्ति वित्त कंपनी "कंपनी शामिल नहीं है 4 ;
- (ix) 'पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी' से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620ए के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्था है;
- 5[(ixa) 'पारस्परिक लाभ कंपनी' से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620ए के अधीन अधिसूचित नहीं है और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार -
- (क) 9 जनवरी 1997 को कर रही है और
- (ख) जिसके पास कुल निवल स्वाधिकृत निधियां तथा अधिनिमान्य शेयर पूर्ण 10 लाख रुपये से कम नहीं हैं, और
- (ग) जिसने 9 जुलाई 1997 को या उसके पहले रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया है; और
- (घ) जो केन्द्र सरकार द्वारा निधि कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637ए के तहत जारी निदेशों के संगत उपबंधों में निहित अपेक्षाओं का पालन करती है];
- (x) 'निवल स्वाधिकृत निधि' से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45Aइए के अधीन यथा परिभाषित निवल स्वाधिकृत निधि है जिसमें ईक्विटी में अनिवार्यतः परिवर्तनीय चुकता अधिमानी शेयरों का समावेश है।

3 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं: 189 द्वारा हटाया गया
4 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं: 189 द्वारा प्रतिस्थापित

(xi) 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ है केवल गैर-बैंकिंग संस्था जो एक ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी अथवा परिसंपत्ति वित्त कंपनी 6 अथवा पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी है;

(xii) 'जनता की जमाराशि' से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 आई (बीबी) के तहत यथा परिभाषित जमाराशि, जिसमें निम्नलिखित का समावेश नहीं है,

(क) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त कोई राशि अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त ऐसी राशि जिसकी चुकौती केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकरण या व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि;

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, या साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम और उसके सहयोगी, अथवा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) के तहत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट, या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1982 के तहत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित विद्युत मंडल, या तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि., या भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि., या भारतीय पुनर्वास उद्योग निगम लि., या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि., या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., या भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि., या भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि., या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि., या कृषि वित्त निगम लि., या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि., या एशियाई विकास बैंक या अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट अन्य किसी संस्था से प्राप्त कोई राशि;

(ग) किसी अन्य कंपनी से किसी कंपनी को प्राप्त राशि;

(घ) ऐसे शेयरों, स्टॉक, बांडों या डिबेंचरों में अभिदान के रूप में प्राप्त राशि, जिन शेयरों, स्टॉक, बांडों या डिबेंचरों का आबंटन विचाराधीन है, और संबंधित कंपनी के संघ के अंतर्नियमों के अनुसार शेयरों पर अग्रिम मांग के जरिए प्राप्त राशि जब तक वह संबंधित कंपनी के संघ के अंतर्नियमों के अधीन सदस्यों को चुकौती योग्य नहीं है;

(ङ) किसी व्यक्ति से प्राप्त की गई ऐसी राशि जिसकी प्राप्ति के समय वह व्यक्ति उस कंपनी का निदेशक हो या किसी निजी कंपनी द्वारा या ऐसी निजी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से प्राप्त कोई राशि, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43ए के तहत सार्वजनिक कंपनी बन गई है और अपने अंतर्नियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित उपबंध शामिल करना जारी रखती है,

बशर्त निदेशक या शेयरधारक , जो भी मामला हो , जिससे धन प्राप्त हुआ है , धन देते समय कंपनी को

इस आशय का एक लिखित घोषणापत्र देता है कि उक्त राशि उधार अथवा अन्यो से स्वीकार की गई

निधियों से नहीं दी जा रही है ;

7[आगे शर्त यह है कि निजी कंपनी के संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, संबंधित संयुक्त शेयरधारकों से या उनके नाम पर प्राप्त राशियां, प्रथम नाम वाले शेयरधारक को छोड़कर, संबंधित कंपनी के शेयरधारक से प्राप्त धन के रूप में मानी जाने हेतु पात्र नहीं होंगी।]

(च) संबंधित कंपनी की किसी अचल संपत्ति या किसी अन्य परिसंपत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत बांडों या डिबेंचरों के निर्गम द्वारा या उनको उक्त कंपनी के शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प से जुटाई गई राशि बशर्त यदि ऐसे बांड या डिबेंचर किसी अचल संपत्ति के बंधक द्वारा या किसी अन्य परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत है तो ऐसे बांडों या डिबेंचरों की राशि उक्त अचल संपत्ति/ अन्य परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(छ) ऋणदात्री संस्थाओं की शर्तों के अनुसरण में बेजमानती ऋण के ज़रिए प्रवर्तकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के पालन के अधीन लाई गई राशि -

(i) ऐसे वित्त में अंशदान से संबंधित प्रवर्तक के दायित्व की पूर्ति में ऋणदात्री सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसरण में संबंधित ऋण लाया गया है।

(ii) स्वयं प्रवर्तकों और/या उनके रिश्तेदारों द्वारा दिया गया ऋण, तथा न कि उनके मित्रों या कारोबारी सहयोगियों द्वारा दिया गया ऋण; और

(iii) इस उप-खंड के अधीन केवल वित्तीय संस्था के ऋण की चुकौती होने तक ही छूट उपलब्ध होगी; उसके बाद नहीं।

8[(ज) पारस्परिक निधि से प्राप्त कोई राशि जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियमावली, 1996 द्वारा नियंत्रित है;]

9[(झ) ऐसे संमिश्र ऋण या गौण ऋण के रूप में प्राप्त राशि, जिनकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि साठ महीने से कम न हो;]

10[(ञ)किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक के रिश्तेदार से प्राप्त राशि

टिप्पणी जमाकर्ता द्वारा किए गए ऐसे आवेदन पर ही, जिसमें यह निहित हो कि जमाराशि की तारीख को, वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत यथापरिभाषित रिश्तेदार की क्षमता में विशिष्ट निदेशक से संबंधित है, जमाराशि स्वीकार की जाएगी।]

11[(ट) 10 अक्टूबर 2000 के परिपत्र सं. आईसीडी 3/08.15.01/2000-01 के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में वाणिज्य पत्र के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि];

12[(ठ)संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा बेमीयादी ऋण लिखत जारी करने के माध्यम से प्राप्त कोई राशि समय समय पर यथा संशोधित 29 अक्टूबर 2009 का कंपनी परिपत्र सं: डीएनबीएस(पीडी)सीसी.131/03.05.002/2008-2009 के अनुसार होना चाहिए।

7 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना सं:134 द्वारा जोड़ा गया

8 15 नवम्बर 1999 की अधिसूचना सं: 133 द्वारा जोड़ा गया

9 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना सं: 134 द्वारा जोड़ा गया तथा (i)के रूप में पुनर्संख्याकित

10 30 जून 2000 की अधिसूचना सं: 141 द्वारा जोड़ा गया

11 27 जून 2011 की अधिसूचना 148 द्वारा जोड़ा गया

12 29 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना 203 द्वारा जोड़ा गया

(ड) आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80 सीसीएफ के तहत समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विशिष्ट उल्लेख के अनुसार , इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बांड के माध्यम से धन अर्जन करना 13,

(xiii) 'प्रतिभूतियों' से तात्पर्य है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(एच) में यथा परिभाषित प्रतिभूति;

(xiv) 'स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी' से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 के तहत प्राप्त पंजीकरण के वैध प्रमाणपत्र धारण करनेवाले स्टॉक ब्रोकर या सब-ब्रोकर का कारोबार करती है; और

(xv) 'शेयर बाज़ार' का अर्थ है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के तहत शेयर बाज़ार के रूप में पहचानी जानेवाली कंपनी।

(2) ऐसे शब्द या अभिव्यक्तियां जिन्हें प्रयोग में लाया गया है लेकिन यहां परिभाषित नहीं किया गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.1) में 14[अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 अथवा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 में] परिभाषित किए गए हैं, उनका अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियमों में निर्धारित किया गया है।

(3) (i) यदि किसी कंपनी की वित्तीय संस्था होने अथवा न होने के संबंध में प्रश्न उठता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्र सरकार के परामर्श से उस पर निर्णय लेगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

(ii) यदि किसी कंपनी के, जो एक वित्तीय संस्था है उसके ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी अथवा परिसंपत्ति वित्त कंपनी¹⁵ होने के संबंध में प्रश्न उठता है तो इस संबंध में कंपनी के मुख्य व्यवसाय तथा अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक निर्णय लेगा और यह निर्णय सभी संबंधित पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

नोट - हटाया गया 16 ।

भाग II - जनता की जमाराशियों की स्वीकृति

पारस्परिक लाभ वाली वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध

3. (1) [हटाया गया]¹⁷

(2) ["इन निदेशों के उपबंध/प्रावधान मुचुअल बेनीफिट फायनांसियल कंपनी एवं मुचुअल बेनीफिट कंपनी पर लागू नहीं होंगे;

बशर्ते मुचुअल बेनीफिट कंपनी के आवेदन पत्र को भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) के उपबंधों/प्रावधानों के तहत अस्वीकृत न किया गया हो] 18

13 22 अक्टूबर 2010 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस (पीडी)सीसी सं: 203/03.10.001/2010-11 द्वारा जोड़ा गया

14 18 दिसम्बर 1998 की अधिसूचना सं: 127 द्वारा जोड़ा गया.

- 15 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं:189 द्वारा जोड़ा गया
 16 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं:189 द्वारा हटाया गया
 17 22 नवम्बर 2007 की अधिसूचना सं: 197 द्वारा हटाया गया
 18 22 नवम्बर 2007 की अधिसूचना सं: 197 द्वारा प्रतिस्थापित

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध

4. न्यूनतम साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

(1) 31 जनवरी 1998 को तथा उस दिन से

(i) पच्चीस लाख रुपये तथा उससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधि (इसमें इसके बाद एनओएफ के रूप में संदर्भित) कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक वह कम-से-कम वर्ष में एक बार अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसियों में से किसी एक से जमा राशियों के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड अथवा अन्य विनिर्दिष्ट क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं कर लेती तथा उस रेटिंग की प्रतिलिपि को विवेकपूर्ण मानदंडों पर विवरणी के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज नहीं देती।

19 [बशर्ते कि यह खंड नीचे दिए गए उप-पैराग्राफ (4) के खंड (क) में उल्लिखित परिसंपत्ति वित्त कंपनी 20 पर लागू नहीं होगा।]

(ii) किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के क्रेडिट रेटिंग के पूर्व धारित स्तर से किसी स्तर पर ऊपर उठने अथवा नीचे गिरने की स्थिति में, उक्त कंपनी अपनी ऐसी रेटिंग होने के पंद्रह कार्य दिनों के भीतर ऐसी वृद्धि/ गिरावट के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगी।

अनुमोदित साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसियां तथा न्यूनतम निवेश श्रेणी साख निर्धारण

अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसियों के नाम तथा न्यूनतम साख निर्धारण निम्नानुसार होंगे -

<u>एजेंसी का नाम</u>	<u>न्यूनतम निवेश ग्रेड निर्धारण</u>
क) भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लि. (क्रिसिल)	एफए- (एफए माइनस)
ख) भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी (आइसीआरए)	एमए- (एमए माइनस)
ग) ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लि. (केयर)	केयर बीबीबी (एफडी)
घ) 21 [फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लि.]	22 [टीए-(इंड)(एफडी)]
23ड) ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)	बीडब्ल्यूआर एफ ए

- 19 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना सं: 134 द्वारा जोड़ा गया
 20 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं:189 द्वारा प्रतिस्थापित
 21 27 जून 2001 की अधिसूचना सं: 148 द्वारा प्रतिस्थापित
 22 1 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना सं: 159 द्वारा प्रतिस्थापित
 23 11 मई 2012 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस(पीडी)243/सीजीएम(यूएस)-2012 द्वारा जोड़ा गया

मांग जमाराशि स्वीकारने पर निषेध

(2) 31 जनवरी 1998 को तथा उस दिन से कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, 31 जनवरी 1998 से पूर्व अथवा उसके बाद स्वीकार की गई कोई भी जनता की जमाराशि, जो मांग पर प्रतिदेय है, स्वीकार अथवा नवीकृत नहीं करेगी।

जनता की जमाराशि की अवधि

(3) 31 जनवरी 1998 को तथा उस दिन से कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी 31 जनवरी 1998 से पूर्व अथवा उसके बाद स्वीकृत की गई कोई जनता की जमाराशि स्वीकृत अथवा नवीकृत नहीं करेगी जब तक ऐसी जमाराशि बारह महीनों की अवधि के बाद लेकिन उसकी स्वीकृति अथवा नवीकरण की तारीख से साठ महीनों की अवधि के बाद नहीं, प्रतिदेय न हो।

(4) जमाराशि की मात्रा की उच्चतम सीमा
परिसंपत्ति वित्त कंपनी(पब्लिक/एएफसी)²⁴एफसी
ऋण कंपनी (एलसी) तथा निवेश कंपनी (आइसी)

जनता की जमाराशि स्वीकारना

कोई परिसंपत्ति वित्त कंपनी²⁵ अथवा ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी निम्नलिखित प्रावधानों को छोड़कर* जनता की जमाराशि स्वीकार अथवा नवीकृत नहीं करेगी।*

24 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं:189 द्वारा प्रतिस्थापित

25 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं:189 द्वारा प्रतिस्थापित

* जमाराशियां स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां न्यूनतम रु 200 लाख रुपये तक धीरे-धीरे, बिना रूकावट एवं अविभेदी तौर पर बढ़ाकर उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ करने के लिए नए तुले तौर पर सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना सं: डीएनबीएस सं:199/सीजीएम(पीके) 2008 में निम्नवत निर्धारित किए गए थे.

(क) 200 लाख रुपये से कम की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अपने द्वारा धारित जमाराशियों को, पहले कदम के रूप में मौजूदा स्तर पर रोक दें.

(ख) इसके अलावा न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग एवं 12% CRAR वाली परिसंपत्ति वित्त कंपनियों जनता की जमाराशियों को घटाकर अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के 1.5 गुने तक, जबकि अन्य कंपनियों जनता की जमाराशियों को घटाकर 31 मार्च 2009 को उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के स्तर के बराबर ले आएँ.

(ग) ऐसी कंपनियों जो वर्तमान में कतिपय स्तर तक जनता से जमाराशियां स्वीकार करने की पात्र हैं किंतु जिन्होंने, किन्हीं कारणों से, उस स्तर तक जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं, उन्हें विनिर्दिष्ट संशोधित सीमा/ स्तर तक जनता से राशियां स्वीकार करने की अनुमति होगी.

(घ) 200 लाख रुपए की निवल स्वाधिकृत निधियों का स्तर प्राप्त करने पर कंपनियों उन्हें प्रमाणित करने वाला सांवाधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें.

एएफसी 26

क. कोई भी परिसंपत्ति वित्त कंपनी²⁷

- (i) जिसकी पच्चीस लाख रुपए अथवा उससे अधिक राशि की निवल स्वाधिकृत निधि है, तथा
- (ii) अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार जिसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं है और जो सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती है,

ऐसी जमाराशि की स्वीकृति अथवा नवीकरण की तारीख को कंपनी की बहियों में बकाया रही राशियों के साथ, अपनी निवल स्वाधिकृत निधि से अधिक से अधिक डेढ़ गुना अथवा दस करोड़ रुपये तक, इनमें से जो भी कम हो, जनता की जमाराशि स्वीकार अथवा नवीकृत कर सकती है;

ख. कोई भी परिसंपत्ति वित्त कंपनी²⁸,

- (i) जिसके पास पच्चीस लाख रुपये अथवा उससे अधिक राशि की निवल स्वाधिकृत निधि है;
- (ii) सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती है; तथा
- (iii) न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग वाली है

ऐसी जमाराशि की स्वीकृति अथवा नवीकरण की तारीख को कंपनी की बहियों में बकाया रहनेवाली राशियों के साथ, अपनी निवल स्वाधिकृत निधि से अधिक से अधिक चार गुना जनता की जमाराशि स्वीकार अथवा नवीकृत कर सकती है।

एलसी/आइसी

ग. कोई भी ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी -

- (i) जिसके पास पच्चीस लाख रुपये अथवा उससे अधिक राशि की निवल स्वाधिकृत निधि है;
- (ii) जिसके पास न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग है; तथा
- (iii) अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार जिसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं है और सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती है,

ऐसी जमाराशि की स्वीकृति अथवा नवीकरण की तारीख को कंपनी की बहियों में बकाया रहनेवाली राशियों के साथ, अपनी निवल स्वाधिकृत निधि से अधिक से अधिक डेढ़ गुना जनता की जमाराशि स्वीकार अथवा नवीकृत कर सकती है;

(ड) विनिर्दिष्ट समय सीमा में निर्दिष्ट स्तर न प्राप्त करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उचित छुट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करें, जिस पर मामले द मामले के आधार पर विचार किया जाएगा.

26 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं: 189 द्वारा प्रतिस्थापित

27 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं: 189 द्वारा प्रतिस्थापित

28 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं: 189 द्वारा प्रतिस्थापित

बशर्ते कोई ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी जो उपर्युक्त सभी शर्तों का अनुपालन करती है तथा इन निर्देशों के लागू होने की तारीख को जिसकी एएए (ट्रिपल ए) ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग है लेकिन पूंजी पर्याप्तता अनुपात पंद्रह प्रतिशत नहीं है, अपनी क्रेडिट रेटिंग की वही स्थिति बनाए रखने तक, 18 दिसंबर 1998 को कारोबार बंद होने के समय बकाया राशि की अधिकतम सीमा अथवा अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के डेढ़ गुना, इनमें से जो भी ज्यादा है, जनता की जमाराशि स्वीकार या नवीकृत कर सकती है और 31 मार्च 2000 के पूर्व निर्देशों के पैरा 4(6) में विनिर्दिष्ट किए गए स्तर तक जनता की जमाराशि को नीचे लाएगी तथा पंद्रह प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी प्राप्त करेगी।

घ. कोई भी ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी जो सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती है तथा इन निर्देशों के लागू होने की तारीख को -

- (i) जिसके पास पच्चीस लाख रुपया अथवा उससे अधिक राशि की निवल स्वाधिकृत निधि है तथा
- (ii) एए (डबल ए) ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग है; लेकिन अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार पंद्रह प्रतिशत अथवा उससे अधिक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात नहीं है,

अपनी क्रेडिट रेटिंग की वही स्थिति बनाए रखने तक, अन्य शर्तें वही रहते हुए, पंद्रह प्रतिशत के पूंजी पर्याप्तता अनुपात हर हालत में 31 मार्च 2000 (लेखा परीक्षा किए गए तुलन पत्र के अनुसार) तक प्राप्त करने तक उतनी जनता की जमाराशि स्वीकृत अथवा नवीकृत कर सकती है जो ऐसी जमाराशि की स्वीकृति अथवा नवीकरण की तारीख को कंपनी की बहियों में बकाया राशियों के साथ, उसकी निवल स्वाधिकृत निधि की राशि के समतुल्य से अधिक न हो।

ङ. कोई ऋण कंपनी या निवेश कंपनी जो सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती है और इन निर्देशों के लागू होने की तारीख को

- (i) जिसकी निवल स्वाधिकृत निधि पच्चीस लाख रुपये या उससे अधिक की है और
- (ii) ए (सिंगल ए) ग्रेड क्रेडिट रेटिंग हो किन्तु अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15 प्रतिशत अथवा उससे अधिक नहीं है।

अपनी क्रेडिट रेटिंग की वही स्थिति बनाए रखने तक, अन्य शर्तें वही रहते हुए, कंपनी की बहियों में जमाराशि स्वीकार करने अथवा नवीकृत करने की तारीख को बकाया जमाराशि के साथ, अधिक से अधिक अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के आधे के समतुल्य जनता की जमाराशि तब तक के लिए स्वीकार या नवीकृत कर सकती है जब तक, लेकिन हर हालत में 31 मार्च 2000 (लेखा परीक्षा किए गए तुलन पत्र के अनुसार) के बाद नहीं, 15 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात नहीं कर लेती।

क्रेडिट रेटिंग का श्रेणीकरण

(5) पैराग्राफ 4(4) में दिए गए अनुसार न्यूनतम विनिर्दिष्ट निवेश ग्रेड के नीचे क्रेडिट रेटिंग आ जाने की स्थिति में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त जमाराशि का नियमन करेगी:

पविकं(एएफसी) 29

- (i) कोई भी परिसंपत्ति वित्त कंपनी 30 -
- (क) यदि उसके पास उपर्युक्त पैरा 4(4) के उप-खंड (बी) के अंतर्गत अनुमत सीमा तक जनता की जमाराशि पहले से है तो वह तत्काल प्रभाव से जनता की जमाराशि स्वीकार करना बंद करेगी;
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक को पंद्रह कार्य दिनों के भीतर इस स्थिति की रिपोर्ट करेगी; तथा
- (ग) क्रेडिट रेटिंग के ऐसे निम्नश्रेणीकरण की तारीख से तीन वर्षों के भीतर जनता की जमाराशि की अतिरिक्त राशि को उनकी देय तारीख को या अन्यथा, चुकौती द्वारा घटाकर शून्य अथवा उपर्युक्त पैराग्राफ 4(4) के उप-खंड (क) के अंतर्गत अनुमत उचित सीमा तक, जैसा मामला हो, ले आयेगी।

एलसी/आइसी

- (ii) कोई भी ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी,
- (क) तत्काल प्रभाव से जनता की जमाराशि स्वीकार करना बंद करेगी;
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक को पंद्रह कार्य दिनों के भीतर इस स्थिति की रिपोर्ट करेगी;
- (ग) क्रेडिट रेटिंग के ऐसे निम्नश्रेणीकरण की तारीख से तीन वर्षों के भीतर जनता की जमाराशि की अतिरिक्त राशि को उनकी देय तारीख को या अन्यथा चुकौती द्वारा घटाकर, शून्य कर लेगी।

पहले ही स्वीकृत तथा अनुमत सीमा से अधिक

जनता की जमाराशियों का नियमन

(6) यदि कोई परिसंपत्ति वित्त कंपनी³¹ अथवा कोई ऋण कंपनी अथवा कोई निवेश कंपनी 18 दिसंबर 1998 को कारोबार बंद होने के समय, इन निर्देशों के उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत करने की निर्धारित उचित सीमा से अधिक जनता की जमाराशि रखती है, तो उक्त कंपनी –

- (i) जनता की जमाराशि स्वीकार करना बंद करेगी; तथा
- (ii) 31 दिसंबर 2001 के पूर्व जनता की जमाराशि की अतिरिक्त राशि को, जब कभी ऐसी जमाराशि चुकौती के लिए देय अथवा अन्यथा होगी, चुकौती द्वारा घटाकर शून्य अथवा उपर्युक्त पैराग्राफ 4(4) के उप-खंड (घ) अथवा (ड) के अंतर्गत अनुमत उचित सीमा तक तक, जैसी स्थिति हो, ले आयेगी।

29 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं: 189 द्वारा प्रतिस्थापित

30 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं: 189 द्वारा प्रतिस्थापित

31 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं: 189 द्वारा प्रतिस्थापित

टिप्पणी

विनियामक उच्चतम सीमा अथवा क्रेडिट रेटिंग के डाउनलोडिंग के कारण जनता की जमाराशियों के अधिक होने की स्थिति में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अवधि पूर्ण होनेवाली जनता की जमाराशि का इन निर्देशों के पैराग्राफ 4 के उप-पैरा (5) तथा (6) में निहित चुकौती की शर्तों तथा अन्य प्रावधानों के अनुपालन के अधीन नवीकरण कर सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अवधि पूर्ण जनता की जमाराशि का नवीकरण जमाकर्ता की सुस्पष्ट तथा स्वैच्छिक सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा।

ब्याज दर की उच्चतम सीमा

32 [(7) 24 अप्रैल 2007 को तथा उस दिन से कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, साढ़े बारह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर पर जनता की जमाराशि आमंत्रित अथवा स्वीकार अथवा उसका नवीकरण नहीं करेगी। ब्याज अदा किया जाएगा अथवा अंतराल शेष राशि पर संयोजित किया जाएगा यह अंतराल मासिक अंतराल से कम नहीं होगा।]

33 [(7ए) 18 सितंबर 2003 को तथा उस दिन से, कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अनिवासी (बाहरी) खाता योजना के अंतर्गत [3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.5/2000-आरबी](#) के अनुसार अनिवासी भारतीयों से प्रत्यावर्तनीय जमाराशियां, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में ऐसी जमाराशियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दर से अधिक दर पर आमंत्रित अथवा स्वीकृत अथवा उनका नवीकरण नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण

उपर्युक्त जमाराशियों की अवधि एक वर्ष से कम तथा तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।]

दलाली का भुगतान

(8) 31 जनवरी 1998 को तथा उस दिन से कोई भी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी किसी भी दलाल को उसके द्वारा अथवा उसके माध्यम से संग्रहीत जनता की जमाराशि पर -

- i) इस तरह संग्रहीत जमाराशि के दो प्रतिशत से अधिक दलाली, कमीशन, प्रोत्साहन राशि अथवा किसी भी नाम से संबोधित कोई अन्य लाभ नहीं देगी; तथा
- ii) इस तरह संग्रहीत जमाराशि के 0.5 प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा प्रस्तुत संबंधित वाउचर्स/ बिलों के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय की अदायगी नहीं करेगी।

34 [जमाकर्ताओं को जमाराशियों की अवधिपूर्णता की सूचना देना

(8ए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का यह दायित्व होगा कि वह जमाराशि की अवधिपूर्णता के ब्यौरे अवधिपूर्णता की तारीख से कम से कम दो महीने पूर्व जमाकर्ता को सूचित करे।]

32 24 अप्रैल 2007 की अधिसूचना सं: 195 द्वारा प्रतिस्थापित

33 17 सितम्बर 2003 की अधिसूचना सं: 174 द्वारा जोड़ा गया

34 5 अक्टूबर 2004 की अधिसूचना सं: 179 द्वारा जोड़ा गया

जनता की जमाराशि का नवीकरण

(9) अगर कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विद्यमान जमाकर्ता को उच्च ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए, अवधिपूर्णता के पूर्व जमाराशि के नवीकरण की अनुमति देती है, तो ऐसी कंपनी जमाकर्ता को ब्याज दर में वृद्धि का भुगतान करेगी बशर्ते -

- (i) उक्त जमाराशि का इन निदेशों के अन्य प्रावधानों के अनुसार तथा मूल संविदा की शेष अवधि से अधिक के लिए नवीकरण किया जाता है; तथा
- (ii) जमाराशि की समाप्त अवधि पर ब्याज उस ब्याज की दर से एक प्रतिशत बिंदु कम अदा करेगी जो वह जमाराशि को उक्त चालू अवधि के लिए स्वीकार करने पर सामान्यतः अदा करती। इस तरह घटी दर से अधिक पहले अदा किया गया कोई भी ब्याज वसूल/ समंजित किया जाएगा।

जनता की अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान

(10) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने विवेकानुसार जनता की अतिदेय जमाराशि अथवा उक्त अतिदेय जमाराशि के किसी अंश पर, जमाराशि की अवधिपूर्णता की तारीख से ब्याज अदा कर सकती है

- (i) इस निदेशों के अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार अतिदेय जमाराशि की कुल राशि अथवा उसके किसी भाग का नवीकरण उसकी अवधिपूर्णता की तारीख से किसी भावी तारीख तक के लिए किया गया है;
- (ii) अनुमत ब्याज उक्त अतिदेय जमाराशि की अवधिपूर्णता की तारीख को लागू उचित दर पर होगा जो केवल इस तरह नवीकृत जमाराशि की रकम पर देय होगा;

बशर्ते अगर कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशि की अवधिपूर्णता पर जमाकर्ता द्वारा दावा किए जाने पर ब्याज सहित जमाराशि अदा करने में विफल हो जाती है तो उक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, दावे की तारीख से चुकौती की तारीख तक जमाराशि को लागू दर पर ब्याज अदा करने के लिए बाध्य होगी।

संयुक्त जमाराशि

(11) जहां ऐसा वांछित हो, जमाराशियां संयुक्त नामों में इन वाक्यांशों अर्थात् 'कोई या जीवित', 'नम्बर एक अथवा जीवित/ जीवितों', 'कोई या जीवित/ जीवितों' में किसी के साथ अथवा बिना किसी के, स्वीकार की जा सकती हैं।

जनता की जमाराशियां मांग करनेवाले आवेदन फॉर्म में

निर्दिष्ट किए जानेवाले विवरण

(12) (i) 31 जनवरी 1998 को तथा उस दिन से कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा आपूर्त ऐसे फार्म में किए गए लिखित आवेदन को छोड़ कर जनता की कोई जमाराशि स्वीकार अथवा नवीकृत नहीं करेगी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58ए के अंतर्गत निर्मित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 में निर्दिष्ट सभी विवरण होंगे और उसमें जमाकर्ता की विशिष्ट श्रेणी

अर्थात् जमाकर्ता कंपनी का शेयरधारक या निदेशक या प्रमोटर या जनता का सदस्य है, इसका भी उल्लेख होगा।

(ii) आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित भी होना चाहिए

(क) मीयादी जमाराशि को दी गई साख श्रेणी (क्रेडिट रेटिंग) तथा कंपनी की साख श्रेणी निर्धारण करनेवाली साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी का नाम, अथवा यदि वह परिसंपत्ति वित्त कंपनी³⁵ है तो उसके प्रबंधतंत्र से यह वक्तव्य कि, उसके द्वारा धारित जनता की जमाराशि की मात्रा उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के डेढ़ गुना अथवा दस करोड़ रुपये, इनमें से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं है;

(ख) ऐसी जमाराशि की शर्तों के अनुसार जमाराशि अथवा उसके एक भाग की चुकौती नहीं किए जाने के मामले में, जमाकर्ता कंपनी लॉ बोर्ड के पूर्वी/ पश्चिमी/ उत्तरी/ दक्षिणी (जो लागू नहीं है उन्हें हटा दें) बैंच, जिसका पता नीचे दिया गया है, उससे संपर्क कर सकता है।

यहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कंपनी लॉ बोर्ड के जिस बैंच के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, उसका पूर्ण पता दें;

(ग) जमाराशि की चुकौती में कंपनी की कोई त्रुटि के मामले में, जमाकर्ता सहायता/ राहत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद क्षतिपूर्ति फोरम, राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद क्षतिपूर्ति फोरम अथवा जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद क्षतिपूर्ति फोरम से संपर्क कर सकता है;

घ) यह वक्तव्य कि कंपनी की प्रकट की गई वित्तीय स्थिति तथा आवेदन फॉर्म में किए गए अभिवेदन सत्य तथा सही हैं और उनकी यथातथ्यता तथा सत्यता के लिए कंपनी तथा उसका निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं;

(ङ) कंपनी की वित्तीय गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। लेकिन, यह स्पष्ट रूप से अवश्य समझ लिया जाए कि कंपनी की वित्तीय शक्ति अथवा कंपनी के किन्हीं वक्तव्यों अथवा अभिवेदनों अथवा अभिव्यक्त अभिमतों की यथातथ्यता की; तथा कंपनी द्वारा जमाराशिकी चुकौती/देयताओं की चुकौती संबंधी कोई भी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लेता है;

(च) आवेदन फॉर्म के अंत में लेकिन जमाकर्ता के हस्ताक्षर के पहले, जमाकर्ता द्वारा सत्यापन संबंधी निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए

'मैंने कंपनी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय ब्यौरों तथा अन्य वक्तव्यों, विवरणों/ अभिवेदनों को पढ़ा है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैं इस कंपनी में अपने जोखिम पर स्वेच्छा से राशि जमा करता/ करती हूं।'

36 [(छ) दी गई दोनों निधि तथा निधितर आधारित सुविधाओं से कुल बकाया और एक ही समूह की कंपनियों अथवा अन्य कंपनियों अथवा व्यापार उद्यमों से बकाया जिनमें निदेशकों तथा/ अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पर्याप्त हित है और ऐसी सुविधाओं में निवेश की कुल राशि, इन सबसे संबंधित सूचना।]

37 [(iii) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नये जमाकर्ताओं के खाते खोलने तथा जमाराशियां स्वीकार करने से पूर्व उनका उचित परिचय प्राप्त करेगी तथा अपने अभिलेख में उस साक्ष्य को रखेगी, जिस पर उक्त परिचय के लिए उसने भरोसा किया।]

35 6 दिसम्बर 2006 की अधिसूचना सं: 189 द्वारा प्रतिस्थापित

36 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना सं:134 द्वारा जोड़ा गया

37 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना सं:134 द्वारा जोड़ा गया

विज्ञापन तथा विज्ञापन के बदले में वक्तव्य

(13) (i) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो जनता की जमाराशि आमंत्रित करती है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के प्रावधानों का अनुपालन करेगी तथा उसके अंतर्गत जारी किए जानेवाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित भी निर्दिष्ट करेगी:-

- (क) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस तथा अन्य लाभ के रूप में प्रतिलाभ की वास्तविक दर;
- (ख) जमाराशि की चुकौती का स्वरूप;
- (ग) जमाराशि की अवधिपूर्णता की अवधि;
- (घ) जमाराशि पर देय ब्याज
- (ङ) जमाकर्ता द्वारा जमाराशि अवधि पूर्णता के पूर्व आहरण करने की स्थिति में जमाकर्ता को देय ब्याज दर;
- (च) वे शर्तें जिनके अधीन जमाराशि का नवीकरण किया जाएगा;
- (छ) जिन शर्तों के अधीन जमाराशि स्वीकृत/ नवीकृत की जाएगी उनसे संबंधित अन्य विशेषताएं;

38 [(ज) उसी समूह की कंपनियों अथवा अन्य कंपनियों अथवा व्यापार उद्यमों से बकाया (प्रदान की गई गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित) जिनमें निदेशकों तथा/ अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पर्याप्त हित है और ऐसी कंपनियों में निवेश की कुल राशि; तथा]

39 [(झ) उसके द्वारा आमंत्रित जमाराशियां बीमाकृत नहीं हैं।]

40 [13(i) (ए) "जहाँ कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टी.वी. में विज्ञापन देती है, भले ही उसमें जमाराशियों के लिए आमंत्रण न हो, वहाँ वह ऐसे विज्ञापन में एक शीर्षक/बैंड शामिल करे जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:

(i) कंपनी की जमा लेने की गतिविधि के तहत जनता की जमाराशियाँ प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों/जमाराशि आवेदन पत्रों के फार्म में दी गई सूचना को दर्शक/पाठक देख सकते हैं; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-इक के अंतर्गत दिनांक -----को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र कंपनी के पास है। तथापि, कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की मौजूदा स्थिति या कंपनी द्वारा दिए गए किसी विवरण/वक्तव्य या निरूपण या व्यक्त किसी अभिमत/राय के सही होने एवं कंपनी द्वारा जमाराशियों की चुकौती / देनदारियों / दायित्वों के मोचन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक कोई उत्तरदायित्व या गारंटी स्वीकार नहीं करता है।]

(ii) जब कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता से जमाराशि आमंत्रित किए बिना तथा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी जमाराशि आमंत्रित करने की अनुमति दिए बगैर या उसे ऐसी जमाराशि आमंत्रित करने के लिए कारण बनाये बगैर जनता की जमाराशि स्वीकार करना चाहती है तो वह ऐसी जमाराशि स्वीकार करने से पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक को अभिलेख के लिए विज्ञापन के बदले में एक विवरण देगा जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (विज्ञापन) नियमावली, 1977 तथा उपर्युक्त खंड (i) में दिए विवरणों के अनुसरण में विज्ञापन में शामिल किए जानेवाले आवश्यक सभी विवरण निहित होंगे तथा उक्त खंड (i) में उल्लिखित विवरण उक्त नियमावली में दिए गए तरीके से विधिवत हस्ताक्षरित होगा।

38 18 दिसम्बर 1998 की अधिसूचना सं: 127 द्वारा जोड़ा गया

39 1 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना सं: 159 द्वारा जोड़ा गया

40 4 अप्रैल 2007 की अधिसूचना सं: 194 द्वारा जोड़ा गया

- (iii) उक्त खंड (ii) के तहत दिया जानेवाला विवरण, जिस वित्तीय वर्ष में वह दिया जाता है उसकी समाप्ति की तारीख से 6 महीने की समाप्ति तक या जिस तारीख को आम सभा में संबंधित कंपनी के समक्ष तुलन-पत्र रखा गया उस तारीख तक या अगर किसी वर्ष की वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं की गई है तो, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसार जिस अद्यतन तारीख को ऐसी बैठक आयोजित की जानी चाहिए थी उस दिन तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध होगा और उक्त विवरण की वैधता की समाप्ति के बाद संबंधित वित्तीय वर्ष में जनता की जमाराशि स्वीकार करने के पहले प्रत्येक बादवाले वित्तीय वर्ष में एक नया विवरण देना होगा।

जनता की जमाराशि की चुकौती के संबंध में सामान्य प्रावधान

41[दिनांक को और दिनांक से और 5 अक्टूबर 2004

न्यूनतम अवरुद्धता अवधि और

जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में चुकौती

(14)(i) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि की जमानत पर कोई ऋण मंजूर नहीं करेगी या जमाराशि की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की अवधि (अवरुद्धता अवधि) के भीतर जनता की किसी जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती नहीं करेगी:

बशर्ते जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त धारिता के मामले में जीवित जमाकर्ता/ओं को या मृत जमाकर्ता के नामिती या कानूनी वारिस/सों को जीवित जमाकर्ता/ नामिती/ कानूनी वारिस के अनुरोध पर तथा मृत्यु का सबूत प्रस्तुत किए जाने पर ही, जिससे कंपनी संतुष्ट हो, जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती अवरुद्धता अवधि में भी कर सकती है।

समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी न होनेवाली किसी

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जनता की जमाराशियों की चुकौती

(ii) उप-पैरा (i) में निहित प्रावधानों के अधीन समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी न हानेवाली कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी,

(क) 5 अक्टूबर 2004 से पूर्णतः अपने विवेकानुसार जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती की अनुमति दे सकती है;

बशर्ते उपर्युक्त तारीख के पहले स्वीकृत किसी जमाराशि के मामले में, ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशि की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद, संबंधित जमाकर्ता के अनुरोध पर उसकी अवधिपूर्व चुकौती कर सकती है, यदि ऐसी जमाराशि की स्वीकृति की शर्तों से ऐसा करना अनुमत हो।

(ख) जमाराशि की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद जमाकर्ता को, उस जमाराशि को देय ब्याज दर से दो प्रतिशतता अंक अधिक की ब्याज दर पर, जनता की कुल जमाराशि के पचहत्तर प्रतिशत तक ऋण मंजूर कर सकती है।

समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा

जनता की जमाराशि की चुकौती

(iii) उप-पैरा (i) में निहित प्रावधानों के अधीन, केवल निम्नलिखित मामलों में कोई समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती या जनता की जमाराशि पर ऋण की मंजूरी दे सकती है ताकि जमाकर्ता आकस्मिक स्वरूप के व्ययों को पूरा कर सके, अर्थात्

(क) बहुत छोटी जमाराशि को पूरी तरह चुकाना या अधिकतम 10,000 रुपये तक की जनता की कोई अन्य जमाराशि को चुकाना; या

(ख) बहुत छोटी जमाराशि पर ऋण मंजूर करना या अन्य जमाराशि पर अधिकतम 10,000 रुपये तक ऋण देना, जिनपर ब्याज दर जमाराशि पर देय ब्याज दर से 2 प्रतिशतता अंक ऊपर होगी।

42 [समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जमाराशियों का एकत्रीकरण]

(iv) एकल/पहले नामवाले एक ही क्षमता के खाते में सभी जमा खाते एकत्रित किए जायेंगे और समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अवधिपूर्व चुकौती या ऋण की मंजूरी के प्रयोजन के लिए एक जमा खाते के रूप में माने जाएंगे;

बशर्ते उप-पैरा (i) में किए गए प्रावधान के अनुसार जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अवधिपूर्व चुकौती पर यह खंड लागू नहीं होगा।]

जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती पर ब्याज दर

(v) अगर कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, पूर्णतः अपने विवेकानुसार या जमाकर्ता के अनुरोध पर, जो भी मामला हो, जनता की जमाराशि की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने के बाद परंतु उसकी परिपक्वता अवधि के पहले उसकी चुकौती करती है (इसमें जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर की गई अवधिपूर्व चुकौती भी शामिल है), तो वह निम्नानुसार दरों पर ब्याज अदा करेगी

3 महीने के बाद परंतु 6 महीने के पहले	कोई ब्याज नहीं
6 महीने के बाद परंतु परिपक्वता की तारीख से पहले	जिस अवधि तक जनता से प्राप्त जमाराशि कंपनी के पास रही है उस अवधि के लिए जनता की जमाराशि को लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत निम्न दर पर ब्याज अदा किया जाएगा अथवा यदि उक्त अवधि के लिए कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जनता की जमाराशियां जिस न्यूनतम दर पर स्वीकार की जाती है उससे 3 प्रतिशत निम्न दर पर ब्याज अदा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण इस पैरा के प्रयोजन के लिए,

(क) 'समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ है ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -

(i) जो अवधिपूर्ण हुई जनता की जमाराशियों की चुकौती के लिए की गई वैध मांग को पांच कार्य दिवस के अंदर पूरा नहीं कर सकती हैं या उसकी चुकौती नकारती है; या

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58एए के तहत जो छोटे जमाकर्ता को जनता की जमाराशि अथवा उसके हिस्से की चुकौती या उस पर उपचित ब्याज की राशि अदा करने में अपनी चूक के बारे में कंपनी विधि बोर्ड को सूचित करती है; या

(iii) जमाराशि संबंधी अपने दायित्व को पूरा करने के लिए चलनिधि परिसंपत्ति प्रतिभूतियों के आहरण के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क करती है; या

42 9 दिसम्बर 2005 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस .182/सीजीएम(पीके)-2005 द्वारा जोड़ा गया

- (iv) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के उपबंधों से अथवा विवेकपूर्ण मानदंडों के प्रावधानों से जनता की जमाराशि या अन्य दायित्वों की पूर्ति में चूक को टालने हेतु सहायता या रियायत या छूट के लिए रिज़र्व बैंक को संपर्क करती है; या
- (v) जिसे रिज़र्व बैंक ने स्वयं प्रेरणा से या जमाकर्ताओं से जनता की जमाराशियों की चुकौती न किये जाने संबंधी शिकायतों अथवा कंपनी के उधारदाताओं से देय राशियों की अदायगी न किये जाने संबंधी शिकायतों के आधार पर समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में अभिनिर्धारित किया हो।

(ख) 'अत्यंत छोटी जमाराशियों' से तात्पर्य है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सभी शाखाओं के एक ही प्रकार की क्षमता के सभी एकल अथवा प्रथम नामित जमाकर्ता के नाम में [जनता की जमाराशियों की कुल राशि] 10,000/- रुपये से अधिक नहीं है।'

जमाकर्ता को रसीद देना

- (15) (i) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त प्रत्येक राशि के लिए प्रत्येक जमाकर्ता को या उसके एजेंट को या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह को रसीद देगी।
- (ii) उक्त रसीद संबंधित कंपनी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होगी तथा उस पर जमाराशि की तारीख, जमाकर्ता का नाम, जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त की गई राशि अक्षरों में और अंकों में, उसपर देय ब्याज दर और जिस तारीख को जमाराशि चुकौती योग्य होगी वह तारीख होगी;
- बशर्ते** यदि उक्त रसीद आवर्ती जमाराशि की प्रथम किस्त के बादवाली किस्तों से संबंधित हो तो उसमें केवल जमाकर्ता का नाम और जमाराशि की तारीख और राशि निहित हो सकती है।

जमाराशि की पंजी

- (16) (i) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सभी जमाराशियों के संबंध में एक या अधिक पंजियां रखेगी जिसमें/ जिनमें प्रत्येक जमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित विवरण अलग से प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात् -
- (क) जमाकर्ता का नाम और पता
- (ख) प्रत्येक जमाराशि की तारीख और राशि
- (ग) प्रत्येक जमाराशि की अवधि और नियत तारीख
- (घ) प्रत्येक जमाराशि पर उपचित ब्याज का दिनांक और राशि अथवा प्रीमियम
- (ङ) जमाकर्ता द्वारा किए गए दावे की तारीख
- (च) मूलधन, ब्याज अथवा प्रीमियम की प्रत्येक चुकौती की तारीख और राशि
- (छ) चुकौती में पांच कार्य दिवस से अधिक समय के विलंब के कारण
- (ज) जमाराशि से संबंधित कोई अन्य विवरण
- (ii) उपर्युक्त पंजी अथवा पंजियां कंपनी की उस प्रत्येक शाखा में रखी जाएगी / जाएंगी जिस शाखा द्वारा संबंधित जमा खाता खोला गया है तथा सभी शाखाओं की एक समेकित पंजी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखी जाएगी और संबंधित पंजी में जिस किसी जमाराशि के विवरण निहित हैं उसकी चुकौती या नवीकरण की अद्यतन प्रविष्टि जिस वित्तीय वर्ष में की गई है उस वर्ष के बाद कम से कम आठ कैलेंडर वर्ष तक की अवधि के लिए उसे अच्छी स्थिति में परिरक्षित की जाएगी;

बशर्ते यदि वह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (1) के परंतुक के अनुसरण में अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर, उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट खाता

बहियां रखती हैं, तो इस खंड के साथ उसे पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा, यदि उपर्युक्त पंजी ऐसे किसी अन्य स्थान पर इस शर्त के साथ रखी जाती हैं कि उक्त उप-धारा के परंतुक के तहत कंपनी पंजीयक के पास दर्ज की गई नोटिस की प्रति, उसके दर्ज किए जाने के दिन से सात दिन के अंदर उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक को सुपुर्द करती है।

43 [4ए. जमाराशियों के संग्रहण के लिए शाखाएं और एजेंटों की नियुक्ति

13 जनवरी 2000 को और उस तारीख से नीचे उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी शाखा नहीं खोलेगी या जमाराशियों के संग्रहण के लिए एजेंटों को प्रतिनियुक्ति नहीं करेगी

- (i) ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आइए के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र है और जो इन निदेशों के पैरा 4(4) के अनुसार जनता की जमाराशियां स्वीकार करने हेतु अन्यथा पात्र है, अपनी शाखा खोल सकती है या एजेंटों को नियुक्त कर सकती है यदि उसकी

(क) निवल स्वाधिकृत निधियां 50 करोड़ रु. तक हैं

उस राज्य के अंतर्गत जिसमें उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है और

(ख) निवल स्वाधिकृत निधियां 50 करोड़ से अधिक हैं और उसका ऋण पात्रता श्रेणी निर्धारण एए या उससे ऊपर हैं

भारत में कहीं भी

- (ii) (क) कोई शाखा खोलने के लिए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रस्तावित शाखा खोलने की अपनी इच्छा रिज़र्व बैंक को सूचित करेगी;

(ख) ऐसी सूचना की प्राप्ति पर रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में या संबंधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हित में या अभिलिखित किए जानेवाले किसी अन्य संगत कारणों के लिए उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है और इस बात की सूचना संबंधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को दे सकता है;

(ग) यदि ऐसी सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक से उपर्युक्त (ख) के अधीन किए प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने की सूचना नहीं भेजी जाती है तो संबंधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने प्रस्ताव पर अगली कार्रवाई शुरू कर सकती है।

4 बी. शाखाएं बंद करना

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी शाखा/ कार्यालय को, राष्ट्रीय स्तर के किसी एक समाचार पत्र में अथवा संबंधित स्थान में परिचालित स्थानीय भाषा के एक समाचार पत्र में अपनी शाखा/ कार्यालय को बंद करने का इरादा प्रकाशित किए बगैर तथा प्रस्तावित समापन के 90 दिन पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किए बगैर बंद कर सकती है।

भाग - III - विशेष प्रावधान

निदेशक मंडल की रिपोर्ट में समाविष्ट की जानेवाली जानकारी

5. (1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उप-धारा (1) के तहत संबंधित कंपनी की आम सभा के समक्ष रखी गई निदेशक मंडल की प्रत्येक रिपोर्ट में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के मामले में निम्नलिखित विवरण या जानकारी शामिल की जाएगी, अर्थात्

- (i) कंपनी के जनता की जमाराशि के खातों की कुल संख्या, जिनकी चुकौती के लिए जमाराशि देय हो जाने की तारीख के बाद जमाकर्ताओं ने दावा नहीं किया है या कंपनी द्वारा उन्हें अदा नहीं किया गया है; और
- (ii) उपर्युक्त खंड (i) में निर्दिष्ट तारीखों के बाद दावा न किए गए या अदत्त रहे ऐसे खातों के अधीन कुल देय राशियां।

(2) उपर्युक्त विवरण या जानकारी, संबंधित रिपोर्ट जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति से संबंधित होगी और पूर्ववर्ती उप-पैरा के खंड (ii) में यथानिर्दिष्ट, दावा न की गई या वितरित न की गई शेष राशि का कुल यदि पांच लाख रुपए की राशि से अधिक होता है तो उक्त रिपोर्ट में, दावा न की गई या वितरित न की गई जमाकर्ताओं को देय राशियों की चुकौती के लिए निदेशक मंडल द्वारा उठाए गए/ उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों संबंधी एक विवरण भी शामिल किया जाएगा।

अनुमोदित प्रतिभूतियों की सुरक्षा अभिरक्षा

44 [6. (1) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -

(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक में या भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. (एसएचसीआइएल) में ग्राहक का सहायक सामान्य खाता-बही (सीएसजीएल) खाता या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत निक्षेपागार सहभागी के जरिए किसी निक्षेपागार के पास डिमैट खाता खोलेगी और भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियां रखेगी जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आइबी तथा 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.121/ईडी(जी)-98 के अनुसरण में, ऐसे सीएसजीएल या डिमैट खाते में रखना अपेक्षित है;

(ii) उस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जहां स्थित है उस स्थान में किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक को अपने नामित बैंकर के रूप में नामित करेगी और ऐसे बैंक अथवा एसएचसीआइएल को, 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.121/ ईडी(जी)-98 के अनुसरण में, किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में रखी अपनी मीयादी जमाराशियां जो वास्तविक रूप में हैं तथा ऐसी भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियां जो डिमैट

रूप में नहीं की गई हैं; सौंपेगी तथा जहां उसने अपना सीएसजीएल खाता खोला है या वास्तविक रूप में जहां प्रतिभूतियां रखी हैं उस अनुसूचित वाणिज्य बैंक का नाम और पता या जहां उसने सीएसजीएल खाता खोला है या वास्तविक रूप में प्रतिभूतियां रखी हैं उस एसएचसीआइएल का स्थान या जहां उसने अपना डिमैट खाता रखा है उस निक्षेपागार (और निक्षेपागार सहयोगी) का स्थान भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, लिखित रूप में इसकी द्वितीय अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रूप में सूचित करेगी;

बशर्ते कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जहां उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है उस स्थान से इतर अन्य किसी स्थान पर नामित बैंकर या एसएचसीआइएल के पास उक्त खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां सौंपना चाहती है तो वह भारतीय रिज़र्व बैंक के जिस क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में उसका पंजीकृत कार्यालय है उस क्षेत्रीय कार्यालय की लिखित पूर्वानुमति से ऐसा कर सकती है, जैसा कि इसकी द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया है।]

45 [आगे बशर्ते यह भी है कि उक्त सीएसजीएल खाते में या डिमैट खाते में रखी सरकारी प्रतिभूतियों का न तो तैयार वायदा संविदा में जिसमें रिवर्स तैयार वायदा संविदा शामिल है और न ही इसके बाद विनिर्दिष्ट क्रियाविधि तथा सीमा के अनुसरण के अलावा अन्यथा व्यापार किया जाएगा।]

46 [(2) उपर्युक्त उप-पैरा (1) में उल्लिखित प्रतिभूतियां जमाकर्ताओं के लाभार्थ, उक्त पैरा में यथाविनिर्दिष्ट रखी जाती रहेंगी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से जमाकर्ताओं को चुकौती के प्रयोजन के अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उसका आहरण या नकदीकरण या अन्य कोई व्यवहार नहीं करेगी;

बशर्ते ,

(i) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी जनता की जमाराशि की कटौती के अनुपात में, लेखापरीक्षक द्वारा उक्त कटौती को विधिवत् प्रमाणित किये जाने पर, ऐसी प्रतिभूतियों का एक हिस्सा आहरित कर सकती है। ।

(ii) जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, वास्तविक रूप में रखी ऐसी प्रतिभूतियों के बदले में दूसरी प्रतिभूतियां रखना चाहती है तो नामित बैंक अथवा एसएचसीआइएल को ऐसे आहरण के पहले समान मूल्य की प्रतिभूतियां सौंपकर वह ऐसा कर सकती है; और]

(iii) 47[इन प्रतिभूतियों का बाज़ार मूल्य किसी भी समय 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.121/ईडी(जी)-98 में यथाविनिर्दिष्ट, जनता की जमाराशियों की प्रतिशतता से कम नहीं होगी।]

48[(3) जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या तो तैयार वायदा संविदा, जिसमें रिवर्स तैयार वायदा संविदा शामिल है, द्वारा या अन्यथा, ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करना चाहती है जो उक्त अधिनियम की धारा 45-आइबी और 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.121/ईडी(जी)-98 के तहत आवश्यक अपेक्षा से अधिक रखी गई है, तो वह अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए एक अलग सीएसजीएल या डिमैट खाता खोलकर कर सकती है।]

कर्मचारी जमानत जमा

7. कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में अपने किसी कर्मचारी से उसके कार्यों के उचित निष्पादन के लिए जमानत राशि के रूप में कोई प्रक्रिया रकम प्राप्त करती है तो उक्त रकम कर्मचारी और कंपनी के संयुक्त नामों से अनुसूचित वाणिज्य बैंक अथवा डाक घर में निम्नलिखित शर्तों पर रखी जाएगी

45 31 जुलाई 2003 की अधिसूचना सं: 170 द्वारा जोड़ा गया

46 1 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना सं: 159 द्वारा प्रतिस्थापित

47 31 जुलाई 2003 की अधिसूचना सं:170 द्वारा खंड (iii) को हटाया गया और खंड (iv) को पुन: संख्या दी गई .

48 31 जुलाई 2003 की अधिसूचना सं: 170 द्वारा जोड़ा गया

- (1) कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना कंपनी उक्त राशि आहरित नहीं करेगी; तथा
- (2) उक्त राशि ऐसे जमा खाते पर देय ब्याज सहित कर्मचारी को प्रतिदेय होगी, अगर ऐसी राशि या उसका कुछ भाग कर्मचारी द्वारा अपने कार्यों के उचित निष्पादन में विफल होने के कारण कंपनी विनियोजित करने के लिए बाध्य न हो।

रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये जानेवाले तुलनपत्र और खातों के साथ निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, खातों पर टिप्पणियां तथा विवरणियों की प्रतियां

8.(1) जनता की जमाराशियां स्वीकृत/ धारित करनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, कंपनी द्वारा आम सभा में पारित उक्त वर्ष से संबंधित लेखा परीक्षित लाभ-हानि लेखा तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217(1) के अनुसार उक्त आम सभा में कंपनी के समक्ष प्रस्तुत निदेशक मंडल की रिपोर्ट की एक प्रति, उक्त आम सभा के पंद्रह दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाए तथा उसी के साथ कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा लेखों पर टिप्पणियों की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की जाए।

लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान

(2) जनता की जमाराशि स्वीकृत/ धारित करनेवाली कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक को, उपर्युक्त पैराग्राफ (1) में दिए गए अनुसार तुलन-पत्र की एक प्रति के साथ, निदेशक मंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षक के रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगी तथा उसके लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी कि कंपनी के जमाकर्ता के प्रति देयताओं की पूर्ण राशि तथा उस पर देय ब्याज, तुलनपत्र में उचित रूप में दर्शाये गए हैं और कंपनी जमाकर्ताओं की उक्त देयताओं की राशि पूरी करने की स्थिति में है।

भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियां

(3) जनता की जमाराशियां स्वीकृत/ धारण करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सूचना देनेवाली एक विवरणी प्रस्तुत करेगी जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट तारीख की वित्तीय स्थिति के अनुसार होगी।

49 " बशर्ते कि 30 जून 2011 से , ऐसी विवरणी को समाप्त तिमाही के 15 दिनों की अवधि के अंदर, त्रैमासिक आधार पर, <https://cosmos.rbi.org.in> पर उपलब्ध फार्मेट में ऑन लाइन प्रस्तुत किया जाए."

(4) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निम्नलिखित मामलों में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में, ऐसा परिवर्तन घटित होने के एक महीने के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करेगी:

- (i) पंजीकृत/ कॉर्पोरेट कार्यालय का पूर्ण डाक पता, टेलीफोन नंबर तथा फैक्स नंबर;
- (ii) कंपनी के निदेशकों के नाम तथा आवासीय पते;
- (ii) अपने प्रधान अधिकारियों के नाम तथा आधिकारिक पदनाम;

- (iv) कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर;
(v) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम तथा कार्यालय का पता।

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत किए

जानेवाले तुलन-पत्र, विवरणियां आदि

(5) इन निदेशों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले कोई तुलन पत्र, विवरणियां अथवा जानकारी अथवा सूचना, इससे संलग्न दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

कतिपय प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर निदेशों का लागू न होना

कुछ विशेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों

पर यह निदेश लागू नहीं होंगी।

9. इन निदेशों पैराग्राफ 4 से 8 में निहित कुछ भी निम्नलिखित को लागू नहीं होगा

- (1) बीमा अधिनियम 1938 (1938 का IV) की धारा 3 के अंतर्गत जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्रावली बीमा कंपनी अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित स्टॉक एक्सचेंज अथवा भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 में परिभाषित स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी
- (2) जनता की जमाराशि नहीं स्वीकार करने/रखनेवाली ऋण कंपनी, निवेश कंपनी, परिसंपत्ति वित्त कंपनी।⁵⁰

बशर्ते उक्त कंपनी इन निदेशों के जारी होने के तीस दिनों के भीतर तथा उसके बाद अगले वित्तीय तथा प्रत्येक अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के तीस दिनों के भीतर अपने निदेशक बोर्ड की बैठक में इस आशय का संकल्प पारित करती है कि उस कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता की जमाराशि न ही स्वीकृत की है और न स्वीकार करेगी।

(3) निवेश कंपनी,

- (i) जिसने केवल अपने समूह/ धारित/ सहायक कंपनियों के शेयर/ प्रतिभूतियां अर्जित की है और ऐसा अर्जन किसी भी समय उसकी कुल परिसंपत्तियों के 90 प्रतिशत से कम नहीं है;
- (ii) जो ऐसे शेयर/ प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करती है; तथा
- (iii) जो जनता की जमाराशि स्वीकृत/ धारित नहीं करती है

बशर्ते उक्त कंपनी इन निदेशों के जारी होने के तीस दिनों के अंदर और उसके बाद प्रत्येक अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के आरंभ के तीस दिनों के अंदर अपने निदेशक मंडल की बैठक में यह संकल्प पारित करती है कि कंपनी ने अपने समूह/ धारितावाली/ सहायक कंपनियों के शेयर/ प्रतिभूतियों में निवेश किया है/

निवेश करेगा/ निवेश रखेगा, जो उसकी परिसंपत्तियों से 90 प्रतिशत से कम नहीं होगा (प्रत्येक कंपनी का नाम निर्दिष्ट किया जाए) और कंपनी इन शेयरों/ प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं करेगी और इसने वर्ष के दौरान जनता की कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है और न करेगी।

51 [9ए कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अंतर्गत परिभाषित सरकारी कंपनी होनेवाली एनबीएफसी पर पैराग्राफ 4 से 7 में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा।

छूट

10. भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि यह आवश्यक समझता है कि किसी कठिनाई से बचने के लिए अथवा किसी अन्य उचित तथा पर्याप्त कारण के लिए इन निदेशों के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने अथवा किसी कंपनी अथवा कंपनियों के वर्ग को उक्त निदेशों के सभी अथवा किसी एक प्रावधान के अनुपालन से सामान्यतः अथवा किसी विशिष्ट अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई ऐसी शर्तों के अधीन छूट दे सकता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के उल्लंघन के लिए कृत अथवा की जानेवाली कार्रवाई की रक्षा

11. एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि 2 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी 114/ डीजी(एसपीटी)98 में निहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998 के अधिक्रमण से निम्नलिखित पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा -

- (i) उसके अंतर्गत अर्जित, उपचित अथवा हुई कोई अधिकार, दायित्व अथवा देयता;
- (ii) उसके अंतर्गत किए गए उल्लंघन के संबंध में हुआ कोई जुर्माना, जब्ती या दण्ड;
- (iii) ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, देयता, दण्ड, जब्ती अथवा दण्ड के संबंध में उक्त निदेशों के अंतर्गत कोई छानबीन, विधिक कार्रवाई अथवा उपाय;

और ऐसी कोई छानबीन, विधिक कार्रवाई या कार्रवाई की जाए, जारी रखी जाए या लागू की जाए और ऐसा कोई जुर्माना, जब्ती या दण्ड लगाया जाए मानो जैसे इन निदेशों का अधिक्रमण हुआ ही नहीं है।

पैराग्राफ 2(1) में उल्लिखित कंपनियों से इतर

कंपनियों पर इन निदेशों की प्रयोज्यता

12. इन निदेशों के प्रावधान, फिलहाल यथा लागू प्रत्येक ऐसी कंपनी पर अथवा प्रत्येक ऐसी कंपनी के संबंध में लागू होंगे जो एक वित्तीय संस्था है लेकिन इन निदेशों के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) में उल्लिखित कंपनियों की श्रेणी में से किसी श्रेणी की नहीं है अथवा विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 के अर्थ के अंतर्गत विविध गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं है अथवा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 के अर्थ के अंतर्गत अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं है जैसा कि वे किसी ऋण कंपनी पर अथवा उसके संबंध में लागू होते हैं।

ह. /-

(एस. पी. तलवार)

उप गवर्नर

दूसरी अनुसूची

(कृपया निदेश का पैराग्राफ सं.6(1) देखें)

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र

<u>कार्यालय के नाम और पते</u>	<u>क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र</u>
1. अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009.	गुजरात राज्य तथा संघशासित क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली
2. बंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय, 10-3-8, नृपतुंगा रोड, बंगलूर - 560 002.	कर्नाटक राज्य
3. भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, होशंगाबाद रोड, पोस्ट बॉक्स सं.32, भोपाल - 462 011.	52 [मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य]
4. भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पोस्ट बैग सं. 16, भुवनेश्वर - 751 001.	उड़ीसा राज्य
5. 53 [कोलकाता] क्षेत्रीय कार्यालय, 15, नेताजी सुभाष रोड, 54[कोलकाता] - 700 001.	सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य तथा संघशासित क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह
6. चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, 11, सेन्ट्रल विस्टा नया कार्यालय भवन टेलीफोन भवन के सामने सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.	हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य और संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़

52 27 जून 2001 की अधिसूचना सं: 148 द्वारा प्रतिस्थापित

53 27 जून 2001 की अधिसूचना सं: 148 द्वारा प्रतिस्थापित

7. चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय,
फोर्ट ग्लासिस, राजाजी पथ,
चेन्नै - 600 001. तमिलनाडु राज्य तथा
संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी
8. गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय,
स्टेशन रोड, पान बाजार,
पोस्ट बॉक्स सं.120,
गुवाहाटी - 781 001. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर,
मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और
त्रिपुरा राज्य
9. हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय,
6-1-56, सेक्रेटेरियट रोड,
सैफाबाद,
हैदराबाद - 500 004. आंध्र प्रदेश राज्य
10. जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
राम बाग सर्कल,
टॉक रोड, पी.बी. सं.12,
जयपुर - 302 004. राजस्थान राज्य
11. जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय,
रेल हेड कॉम्प्लेक्स,
पोस्ट बैग सं.1,
जम्मू - 180 012. जम्मू और कश्मीर राज्य
- 55 [12. कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय
महात्मा गांधी मार्ग,
कानपुर - 208 001. ²⁹[उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
राज्य]
13. मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय,
गार्मेट हाऊस, 4थी मंजिल,
डॉ.एनी बेसंट रोड,
वरली,
मुंबई - 400 018. गोवा और महाराष्ट्र राज्य
14. नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय,
6, संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001. हरियाणा राज्य और दिल्ली के
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

15. पटना क्षेत्रीय कार्यालय,
गांधी मैदान के दक्षिण,
पोस्ट बैग सं.162,
पटना-800 001.
- 29[बिहार और झारखण्ड राज्य]
16. तिरुवनन्तपुरम क्षेत्रीय कार्यालय,
बेकरी जंक्शन,
तिरुवनन्तपुरम-695 033.
- केरल राज्य तथा संघशासित क्षेत्र
लक्षद्वीप